न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- श्री नरेन्द्र कुमार मीना
आर०ए०एस०

वाद संख्या:- 63/2017.

उनवान

1. लाडादेवी पत्नि स्व० मांगीलाल
2. सुरेश कुमार / पि० स्व० मांगीलाल
3. ओमप्रकाश
4. राजेन्द्र प्रसाद /
समस्त व्यस्कान जाति बलाई निवासी देवन
तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)

... वादीगण

बनाम

1. गजानन्द पुत्र भंवरलाल
2. अशोक / पिसरान गजानन्द
3. मनीष
4. मनोज /
5. ममभरी देवी पत्नि गजानन्द
(1–5) व्यस्कान जाति बलाई निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)
6. मांगीदेवी पत्नि गुल्लाराम जाति बलाई व्यस्क (फौत)
7. भंवरलाल / पि० गुल्लाराम व्यस्क जाति बलाई
8. कैलाश / निवासी तेवड़ी तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राजस्थान)
9. सोनीदेवी पत्नि रिधपाल (फौत)
10. मिश्रीदेवी पत्नि हीरालाल
व्यस्कान जाति बलाई निवासी टटेरा
तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

प्रतिवादीगण

दिनांक 27-01-2020

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:-

1. श्री रविशंकर अग्रवाल, अधिवक्ता वादीगण की ओर से

...(2)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

निर्णय

दिनांक :- 27/01/2020

1. उपर्युक्त दीवानी संबंधित वाद के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1160/1.25 हैक्टेयर वाके मौजा देवन तहसील शाहपुरा के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं तथा अपने बुजुर्गों के समय से काबिज काश्त हैं तथा उक्त आराजी में दक्षिण साईड में बोरिंग का निर्माण कर विद्युत कनेक्शन लगा रखा है खाम मकान बनाकर उसमें निवास एवं कृषि संसाधन रखने के उपयोग एवं उपभोग में लेते आ रहे हैं। उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण एवं अन्य किसी दीगर का कोई सम्बन्ध, अधिकार एवं कब्जा नहीं रहा है एवं ना ही वर्तमान में है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है, जो ताकत के बल पर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर अपने स्वमू का कब्जा करना चाहते है। दिनांक 24/10/2009 को शाम को करीब 5:00 बजे वादिया संख्या-1 उक्त आराजी मुतनाजा में चने की बुआई कर रही थी, उस समय समस्त प्रतिवादीगण एक राय होकर हाथों में लाठियां व फावड़े लेकर आये और वादीगण को जबरन बेदखल कर अपना कब्जा करने पर आमादा हो गये। वादियागण के साथ गाली-गलोच करने एवं वादिया के हल्ला करने पर अन्य वादीगण व आसपास के लोगों ने बीच-बचाव करवाया। प्रतिवादीगण उस समय तो चले गये, लेकिन जाते समय इन्होने वादीगण को उक्त जमीन से जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी, इस कारण यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यदि प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे वादीगण के कब्जे व अधिकार की खातेदारी की भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करने व स्वमू जबरन कब्जा करने में सफल हो जावेंगे, जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में सम्भव नहीं होगी व पक्षकारान में मुकदमें बाजी बढ़ेगी और यही वाद कारण है। दावा अन्दर मियाद है तथा निर्धारित कोर्ट शुल्क पर प्रस्तुत है, जिसे सुनने व तय करने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अत: दावा वादीगण स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा वादीगण को प्रतिवादीगण से हर्जा-खर्चा दिलवाया जावे या अन्य सहायता बहक वादीगण उचित प्रतीत हो दिलवाई जावे।

2. दावा प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट संयुक्ता ली गयी तथा वाद काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गयी।

3. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 नियत दिनांक 25/11/2009 को जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह हाजिर अदालत आये। प्रतिवादीगण को अपना

...3

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिए बार बार अनेको अवसर प्रदान कर समुचित समय दिया गया, किन्तु अन्तिम अवसर देने के पश्चात भी कोई समयावधि जाने के बावजूद भी नियत तिथि 4/11/2019 को प्रतिवादीगण एवं इनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित ही नहीं आये, इस कारण उनका जवाबदावा बन्द कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई।

3. वादीगण की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में वादिया संख्या-1 लाडो देवी, वादी संख्या-4 राजेन्द्र प्रसाद ने अपने स्वयं के व गवाह नन्दराम पुत्र जोधीराम निवासी देवन के बयानों के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2063-2066 प्रदर्श-1, रिपोर्ट थाना दिनांक 23/10/2009 प्रदर्श-2 एवं बिजली का बिल प्रदर्श-3 पेश किये।

4. बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत को इंगित करते हुए वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की। प्रतिवादीगण एवं इनके अधिवक्ता की ओर से कोई उजरात एवं आपत्ति पेश नहीं की गई।

5. हमने बहस पर गौर किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड एवं शाहदत का भलिभांति अध्ययन व अवलोकन कर मनन किया।

6. पत्रावली पर प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत 2063-2066 प्रदर्श-1 की प्रविष्टियों से वादीगण आराजी मुतनाजा के तहकीक से शामिलशरीक खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित होते हैं। रिपोर्ट थानाधिकारी शाहपुरा को वादिया संख्या-1 को पेश की गई प्रदर्श-2 एवं बिजली के बिल से आराजी मुतनाजा का वादीगण द्वारा उपयोग व उपभोग करने तथा प्रतिवादीगण के द्वारा उनकी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत पैदा करना एवं लड़ाई-झगड़ा करना जाहिर होता है। मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये बयानों के शपथ-पत्रों से वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को साबित करवाया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड शाहदत से वादीगण का वाद बखूबी साबित होता है, जो डिक्री किये जाने योग्य है।

7. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को हमेशा-हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर कि वे वादीगण की शामिलशरीक खातेदारी ...(4)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

IV

63/2017.

एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 1168/1.25 है० स्थित ग्राम देवन तहसील शाहपुरा में स्वयं व अपने नौकर, प्रतिनिधी, एजेन्टों व स्थानपन्नों के द्वारा किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, किन्तु वादीगण को अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर काबिज रहकर शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे, वादीगण को उक्त भूमि या इसके किसी भी भाग से जबरन बेदखल नहीं करें एवं नाहीं स्वयं जबरन कब्जा करें। हर्जा-खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :–63 / 2017

उनवान

1. लाडा देवी पत्नी स्व. मांगीलाल
2. सुरेश कुमार
3. ओमप्रकाश
4. राजेन्द्र प्रसाद

पि0 स्व. मांगीलाल

समस्त जाति बलाई नि0 ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. गजानन्द पुत्र भंवरलाल
2. अशोक
3. मनीष
4. मनोज

पि0 गजानन्द

5. मनभरी देवी पत्नी गजानन्द

समस्त जाति बलाई नि0 ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

6. मांगीदेवी पत्नी गुल्लाराम जाति बलाई (फौत)
7. भंवरलाल
8. कैलाश

पि0 गुल्लाराम जाति बलाई नि. ग्राम तेवड़ी तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

9. सोनी देवी पत्नी रिछपाल (फौत)
10. मिश्री देवी पत्नी हीरालाल जाति बलाई नि. टटेरा तह. नीमकाथाना जिला सीकर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को हमेशा–हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 1168 / 1.25 है0 स्थित वाके ग्राम देवन तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्वयं व अपने नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्टों व स्थानपन्नों के द्वारा किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, अपितु वादीगण को अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर काबिज रहकर शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे, वादीगण को उक्त भूमि या इसके किसी भी भाग से जबरन बेदखल नही करें एवं ना ही स्वयं जबरन कब्जा करें। हर्जा–खर्चा फरीकेन अपना –अपना वहन करें। तदानुसार डिक्री मुर्तिब होकर लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज तारीख 27.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	